

Application For Registration Of Project

Annexure – I

Promoter – Asteroid Shelters Homes Pvt. Ltd.

Project - Galaxy Diamond Plaza (Commercial)

Point No 2.(VI) - an authenticated copy of the approvals and commencement certificate from the competent authority obtained in accordance with the laws as may be applicable for the for the real estate project mentioned in the application, and where the project is proposed to be developed in phases, an authenticated copy of the approvals and commencement certificate from the competent authority for each of such phases;

Annexure

- | | |
|--|-----|
| a) Sanction Letter of the Drawings No PLG/(BP)3678 (s)/3635 Issue by GNIDA Dated. 07/06/2016. | I-1 |
| b) FIRE NOC No B-14/CFO/GBN-16/1117 Dated. 30/04/2016 issue by Chief Fire Officer, Gautam Budh Nagar | I-2 |
| c) NOC Letter No. SAFD/NORTH/B/021916/121752 Dated. 19/02/2016 for Height Clearance Issued by Airport Authority of India | I-3 |
| d) Book No. 23, Receipt No. 1144 Dated. 04/01/2016 issued by NOIDA giving permission for usage of Water from Sewage treatment Plant | I-4 |
| e) Permission Letter No.768/Mineral Clark/2015 Dated. 28/01/2016 Issued by Distt. Mining Officer, Gautam Budh Nagar for extracting sand for the construction of Basement. | I-5 |
| f) Vetting Certificate No CEDJ/03/02/2016 Dated. 20/02/2016 issued in respect of Structural Designing by MODARCHINDIA, Address Mulana Mohamed Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025 | I-6 |

Greater Noida Industrial Development Authority

169, Chitrapur Estate, Sector-63, Greater Noida,
Gautam Buddh Nagar, 201310

PLG/(BP)-3678(S)/3635

Dated: 07.06.2016

To,

M/s Asteroid Shelters Homes Pvt. Ltd.
H-175, Sector-63
Noida

CONDITIONAL with respect point no 17 vis-à-vis notification 50(A) dated 27-1-1994 and its amendment from time to time and notification dated 14-09-2006 issued by Ministry of Environment & Forest.

Sir,

With reference to your application Dated 6.6.2016 for grant of Sanction of Commercial Building Plan at Plot No-C-01A, Sector-04, Greater Noida, I have to inform you that the sanction is being granted by the Authority with the following conditions:

1. This sanction is being granted under the provision of The Greater Noida Industrial Development Area Building Regulation 2010
2. The validity of this sanction map is upto FIVE YEARS
3. In case allotment is cancelled/case is determine for whatsoever reason by functional department, aforesaid sanction shall automatically be deemed to have been withdrawn.
4. During this period, after the completion of construction it is necessary to apply for occupancy certificate, and time extension charges shall be payable as applicable
5. If demanded by the Authority You shall be liable to pay charges for the provision of any further facilities/development/improvement.
6. A copy of the sanction drawing shall always be kept at site and shall be made available to any officer of the Authority on demand.
7. No addition/alteration is permitted in the sanctioned drawings. For any changes prior permission from the Authority required.
8. You shall be responsible for carrying out the work in accordance with the requirements of Greater Noida Industrial Development Building Regulation 2010, and direction made from time to time.
9. Prior permission is required before digging an under ground bore well
10. No activity other than as specified in lease deed shall be permitted in the premises
11. Prior permission is permission from the Authority is required for temporary structure also like labour huts & site office
12. Gate shall open on to the service road only. Direct access to the main carriageway shall not be provided.
13. Services, rain water harvesting shall be laid as per approval of Authority.
14. No parking of any kind shall be permitted on n.w of road
15. Pejo meter shall have to be installed as per direction issued by Authority.
16. Complying with all the requirement for obtaining NOC from various departments prior to submission of application for occupancy shall be the responsibility of allottee irrespective of the proposal sanctioned by GNIDA.
17. In case of any change in the parameters which require clearance for Ministry of Environment, Govt. of India, the applicant shall be responsible to obtain the same before starting construction.
18. Before starting construction, the NOC is required from Central Ground Water Authority under notification dated 18.11.2012. The copy of NOC from G.G.W.A. shall be submitted to the Authority. If Construction is started before obtaining the NOC the sanction shall be treated as cancelled.
19. Mechanical ventilation to be provided in the Basement as per I.S. code.
20. The Promoter shall follow the Apartment Act-2016 and its applicability to the project as per defined rules and amendments made in future. As per the Provision of UP Apartment Rules 2011.
21. The construction on the plot shall have to be done in accordance with the provisions of MOEF Guidelines 2010 and Honorable NGT orders from time to time in this regard
22. The promoter shall inform the officer of GM (PLNG) for Site visit when construction upto plinth level and Gr.Floor Slab level is reached. After clearance from planning department the promoter can go ahead with construction beyond plinth level & Ground Floor slab.

Leena
Telle
(Leena Sahgal)

General Manager(Plng & Arch)

Encl: Copy of sanctioned drawings (.)
Copy to: G.M. (Engg./Ind) for information and a.a.

General Manager(Plng & Arch)

महाप्रबन्धक, (वास्तु एवं नियोजन)

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण,

गौतमबुद्धनगर।

विषय: एस्ट्राएड सेल्टर्स होम्स प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट नं0-सी-01ए सैक्टर-04 ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित मॉल मल्टीप्लेक्स एवं मेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि जैसे बृहद एवं महत्वपूर्ण भवनो के नक्शो पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-8 के पत्र संख्या: 1821/छ-पु0-08-65(रिटें)/08 दिनांक 25-07-2008 के अनुपालन में जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में माल मल्टीप्लेक्स एवं मेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे बृहद भवनो की अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्नांकित कमेटी का गठन किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

- 1-अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर द्वारा नामित
- 2-संयोजक, श्री सुनील कुमार सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर
- 3-सदस्य, श्री शान्तनु कुमार यादव, अग्निशमन अधिकारी, कोटेक-तृतीय ग्रेटर नोएडा
- 4-सदस्य वास्तुविद-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नामित सदस्य

समिति के सदस्यो द्वारा प्ररनगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों का परीक्षण उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली-2005 में विहित न्यूनतम सुसंगत मानको के अनुसार किया गया तथा अपर जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपसन्त अनुमोदित मानचित्रो का विवरण निम्नवत् है:-

भवन का स्वरूप-कुल प्लॉट एरिया-10235.00 वर्ग मीटर

क्र0सं0	नाम तल व सर्विस एवं बेसमेन्ट का विवरण	टावर एवं सर्विस तल का कवर्ड
1	बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया	4490.723
2	भूतल का कवर्ड एरिया	4084.589
3	प्रथम तल का कवर्ड एरिया	3866.055
4	द्वितीय तल का कवर्ड एरिया	3866.055
5	तृतीय तल का कवर्ड एरिया	3829.953
6	चतुर्थ तल का कवर्ड एरिया	3279.995
7	पाचवें तल का कवर्ड एरिया	3790.612
8	छठवें तल का कवर्ड एरिया	317.899
9	सातवें तल का कवर्ड एरिया	2109.904
10	आठवें तल का कवर्ड एरिया	1749.496
11	नौवें तल का कवर्ड एरिया	1698.616
12	दसवें तल का कवर्ड एरिया	1618.967
13	ग्यारहवें तल का कवर्ड एरिया	1675.296
14	बारहवें तल का कवर्ड एरिया	1675.296
15	तेरहवें तल का कवर्ड एरिया	1675.296
16	चौदहवें तल का कवर्ड एरिया	11157.016
17	पन्द्रहवें तल का कवर्ड एरिया	581.981
18	सर्विस तल का कवर्ड एरिया	2762.389
19	शॉपिंग तल का कवर्ड एरिया	1000.101

20	प्रथम बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया	1336.843
21	द्वितीय बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया	7950.800
22	तृतीय बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया	8200.190
23	ऊँचाई मीटर में	68.55

भवन का अधिभाग:-प्रस्तावित भवन का अधिभाग माल मल्टीप्लैक्स, होटल्स, कार्यालय एवं मेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भवन के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

डॉचागत व्यवस्था:

1-पहुँच मार्ग: प्रस्तावित भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 130 मी० मानको के अनुसार अंकित की गयी है जो एन०बी०सी०-2005 व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि मानको के अनुसार है।

2-प्रवेश द्वार-भवन में प्रवेशद्वार 09.00 मीटर प्रस्तावित किया गया है।

3-सैटबैक-निम्नवत् है:-

ए-अग्रभाग-09.00 मीटर,

बी-पृष्ठ भाग-12.00 मीटर,

सी-पार्श्व भाग प्रथम 12.00 मीटर,

डी-पार्श्व भाग द्वितीय 06.00 मीटर

उपरोक्तानुसार सैटबैक भवन एन०बी०सी०-2005 व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि मानको के अनुसार जिनको सदैव फायर सर्विस वाहनों के सुगम आवागमन हेतु अवरोध मुक्त रखा जाना अनिवार्य होगा एवं सैटबैक में किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग/फायर टावर-प्रस्तावित भवन में 07 स्टेयरकेश व 02 एस्केलेटर प्रस्तावित है परन्तु जो स्टेयरकेश मल्टीप्लैक्स से निकल रही है उनकी चौड़ाई-02.00 मीटर तथा सातवें तल से ऊपर तल तक जाने के लिए टावर में 04 स्टेयरकेश, जिनमें से प्रत्येक स्टेयरकेश की धर फ्लाइंट चौड़ाई- 01.50 मीटर तथा उक्त स्टेयरकेशों में से एक स्टेयरकेश को फायर टावर के रूप में नामित किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक फ्लोर के समस्त स्थानों में ट्रेवलिंग डिसटेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा बेसमेन्ट में 02 अदद रैम्प भी प्रस्तावित है।

5-फायर लिफ्ट-प्रस्तावित भवन में 06 लिफ्ट प्रस्तावित है, जिसमें कम से कम 01 लिफ्ट में फायर मैन स्वीच लगाकर फायर लिफ्ट के रूप में नामित किया जाना प्रस्तावित है।

6-रिफ्यूज एरिया-भवन के में रिफ्यूज एरिया एन०बी०सी० मानक के अनुसार 8वें तल, 12वें तल तथा 15वें तल की टेरेस पर प्रस्तावित किया गया है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था:-प्रस्तावित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के अनुसार निम्नोक्त अग्निशमन व्यवस्थाये स्थापित किया जाना वांछनीय है:-

1-होजरील- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल पर होजरील, एन०बी०सी० मानको के अनुसार वांछनीय है।

2-टैरिस टैंक-प्रस्तावित भवन की टेरेस पर 20000 लीटर क्षमता का टैरिस टैंक वांछनीय है।

3-भूमिगत टैंक-प्रस्तावित भवन में अग्निशमन कार्य हेतु भवन में 200000 (दो लाख) लीटर क्षमता भूमिगत टैंक का प्रस्तावित है।

4-फायर पम्प-प्रस्तावित भवन में भूमिगत टैंक के पारा 2850 एल.पी.एम. क्षमता के 02 अदद विद्युत चालित पम्प, समस्त क्षमता का डीजल पम्प, तथा 180 एल.पी.एम. क्षमता को 02 अदद जॉकी पम्प जो मल्टीस्टेज/मल्टीलेवल व हैड भवन की ऊँचाई के अनुसार एन०बी०सी० मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वांछनीय है।

5-यार्ड हाईड्रैन्ट-प्रस्तावित भवन में 150 एमएम की रिंग लाइन डालकर उस पर मानको के अनुसार यार्ड हाईड्रैन्ट्स एवं फायर सर्विस इन्लेट वांछनीय है।

6-वेटराइजर/डाउन कामर सिस्टम-प्रस्तावित भवन में मानको के अनुसार वेटराइजर कम डाउन कामर सिस्टम तथा मानको के अनुसार लैण्डिंग वाल्व, लैण्डिंग वाल्व के पास में ही होज बाक्स बनाकर 2-2 अदद होज पाइप जिनमें से प्रत्येक की लम्बाई-15 मीटर व एक-एक अदद साधारण ब्रान्च पाइप रखा जाना वांछनीय है।

- 7- ओटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम-सम्पूर्ण भवन में एन0बी0सी0 मानको के अनुसार ओटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम वांछनीय है।
- 8-आटोमैटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम-भवन में आटोमैटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम वांछनीय है।
- 9-मैन्युअल आपरैटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम-सम्पूर्ण भवन के समस्त ब्लाकों में मैन्युअल आपरैटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम मानको के अनुसार वांछित है।
- 10-हैलीपैड-एन0बी0सी0-2005 मानकों के अनुसार 60 मीटर से ऊंचाई वाले टावर की टेरिस पर हैलीपैड का प्राविधान किया जाना वांछनीय है।
- 11-स्मॉक एक्स्ट्रैक्शन-प्रशस्त भवन में स्मॉक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वांछनीय है।
- 12-प्रेशराजेशन सिस्टम-भवन के निकास मार्ग, लिफ्ट लॉबी व कोरीडोर को प्रेशराइज करते हुए, डिटेक्शन सिस्टम स्मॉक एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम व फायर फाइटिंग सिस्टम को आटोमैटिक रूप से जोड़ा जाना आवश्यक होगा।
- 12- एक्जिट साइनेज-प्रस्तावित भवन में एक्जिट साइनेट वांछित है।
- 13-पी0 ए0 सिस्टम-प्रस्तावित भवन के मैन गेट पर फायर कन्ट्रोलरूम बनाकर मानको के अनुसार वांछित है।
- 14-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)- प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई.एस. कोड 2190:2010 के अनुसार वांछित है।
- 15-प्रशिक्षित स्टाफ-प्रशस्त भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0-2005 के प्रस्तर सी-8 के अनुसार नियुक्त किया जाना वांछनीय है।
- 16-वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था-प्रस्तावित भवन में उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायर मैन लिफ्ट तथा भवन को बिल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानको के अनुसार वांछनीय है।

उपरोक्तानुसार मैसर्स, एस्ट्रुड सेल्टर्स होम्स प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट न0-सी0-01ए, सैक्टर-4, ग्रेटर नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित माल मल्टीप्लेक्स एवं मेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भवन के निर्माण हेतु अंशदाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है। कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनयामावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लिखित मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछित है तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परिक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अतिआवश्यक होगा।

(सुनील कुमार सिंह) 116
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर
मुख्य अग्निशमन अधिकारी

- प्रतिलिपि-1 अग्निशमन अधिकारी इकोटेक-3 ग्रेटर नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। गौतमबुद्धनगर
- 2- मैसर्स, एस्ट्रुड सेल्टर्स होम्स प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट न0-सी0-01ए, सैक्टर-4, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।



I-3

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Date: 19-02-2016

Pradeep Kumar Agrawalla

Asteroid Shelter Homes
Ltd. H-175, Sector-63,
Gautam

System Generated Auto Assessment for Height Clearance

Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR 751 (E) dated 30th Sep. 2015 for Safe and Regular Aircraft Operations has assessed the site data filled by the applicant.

Assessment details for Height Clearance:

DID : SAFD/NORTH/B/021916/121752

Applicant Name : Mr. Pradeep Kumar Agrawalla

Type of Structure : Building

Address : Commercial Plot No- C-1A, Sector-4, Gr. Noida, G.B.Nagar, U.P.

Coordinates : 77 25 30.0-28 36 31.0, 77 25 33.0-28 36 23.0, 77 25 37.0-28 36 32.0, 77 25 40.0-28 36 26.0,

Elevation AMSL in 205 M
as Submitted by
Applicant:

The site is located at a distance of 21759 m from the Aerodrome reference point of Safdarjung Airport and the requested top elevation is 273 mtrs, the NOC for height clearance is not required from Airports Authority of India as per GSR 751(E).

This assessment is subject to the terms and conditions as given below:

The site-elevation and site coordinates provided by the applicant are taken for calculation of the permissible top elevation of the proposed structure. If, however, at any stage it is established that the actual data is different from the one, provided by the applicant, this NOC will become invalid.

The assessment is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994.

The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This assessment for height is to ensure the safe and regular aircraft operations and shall not be used as a document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

This assessment has been issued w.r.t. the Civil Airports as notified in GSR 751(E). Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within jurisdiction of Defence Airport.

Page 1/2

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

This assessment is system auto generated and thus does not require any signature

Designated Officer

Region Name: NORTH

Address: General Manager Airports
Authority of India, Regional
Headquarter, Northern Region,
Operational Offices, Gurgaon
Road, New Delhi-110037

Email ID: noc_nr@aii.aero

Contact No: 011-25653551

Noida

White - Customer Copy
Pink - J.E. Copy
Green - S.T.P. Copy
Yellow - Office Copy

New Okhla Industrial Development Authority Noida

Sewage Treatment Plant

Sector

123

Book No. 23

UR-16K-1028

Receipt No. 1144

Dated 05-01-16

Received from M/s. *Asteold Shelters Homes Pvt. Ltd.*

Project

Plot No. C-01A

Sector 4, GZR, Noida

the sum of Rs. (In words) *Twenty Five Thousand* account of treated sewerage water for construction purpose, as per terms & conditions overleaf.

[Quantity of Sewage treated water = *5000* KL @ Rs. *5/-* KL = Rs. *25000/-*]

Detail of Deposit

1. D.D. No. - *657205*

Date :- *04-01-16*

2. Name of Bank - *DNB*

3. D.D. Amount - *25000/-*

Above mention D.D. received by me

Divisional Accountant

Customer

Authority Signatory

Noida Authority



Terms & Conditions

1. The Treated Sewerage water is available on 1st come 1st serve basis ap per availability from 9.30 A.M. to 6.00 P.M. daily.
2. The treated Sewerage water is not fit for drinking purpose/washing use/bathing use etc. by labour/their families or human being/animal use.
3. The treated Sewerage water is to be treated further before use by builders/construction companies as per requirement of I.S. : 456 to meet the water parameter suitable for construction purposes.
4. NOIDA is not responsible for any damages/losses on any account associated with treated sewerage discharge for construction purposes.
5. NOIDA is not responsible to meet the demand as per schedule & time of colonizers/builder.
6. BBR technique treated sewage water is available from STP Sector-54, STP Sector-50 & STP Sector-123
7. CEO NOIDA will be appellant authority in case of any dispute & the decision shall be binding to NOIDA as well as builder/Colonizers.
8. NOIDA reserve the right to regulate the sewerage discharge by any way deemed fit in the interest of Deput.
9. NOIDA reserve the right to modify, delete, add any condition at any time & binding on builder/colonizer.
10. NOIDA reserve the right to fix/revised rate of sewerage discharge from time to time.
11. NOIDA would be responsible to the extent of supply of treated sewerage water for construction purpose only & further bonafide use of treated sewerage water shall be the responsibilities of the builders/colonisers/persons getting treated sewerage water from NOIDA.
12. In case of misuse, the penal action as per prevailing law shall be initiated.
13. That these Terms & Conditions shall be governed in accordance with the laws of India and District court in Gurgaon, Haryana and High Court in Allahabad shall have exclusive jurisdiction to adjudicate disputes arising from the terms here in.

[Handwritten signature]

**बेसमेन्ट के निर्माण में निकले उपखनिज की निकासी हेतु
अनुमति-पत्र**

1 of 2134

I-5

M/s Asteroid Shelters Homes pvt ltd पता-551/1 खसरा नम्बर-278 गाँव-सेदुलजब एकसटेसन नई दिल्ली के प्लॉट सं०-सी०-०१/ए सैक्टर-०४ ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में कुल क्षेत्रफल 10235 वर्गमीटर के 8000 वर्गमीटर भाग में बेसमेन्ट का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी कुल गहराई 7.00 मीटर है, सम्भावित प्रथम 1.00 मीटर गहराई तक 8000 घनमीटर साठ मिट्टी का खनन प्रस्तावित है, जिसकी वर्तमान रायल्टी दर रु० 30/- प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी अंकन रु०-2,40,000/- एवं शेष 8.00 मीटर गहराई तक 48000 घनमीटर साधारण बालू का खनन किया जायेगा जिसकी वर्तमान रायल्टी दर रु० 85/- प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी रु०-31,20,000/- होती है। इस प्रकार कुल धनराशि रु०-33,60,000/- का भुगतान कर दिया गया है। एतद्वारा नीचे उल्लिखित जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 23.01.2016 द्वारा 03 माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उपखनिज हटाने की अनुमति दी जाती है।

भूमि का व्यौरा

क्रम सं०	तहसील	प्लॉट संख्या	बेसमेन्ट एरिया का विवरण
1.	—	प्लॉट सं०-सी०-०१/ए सैक्टर-०४ ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर	उक्त प्लॉट का बेसमेन्ट एरिया 8000 वर्गमीटर है जिसकी की गहराई 7.00 मीटर है।

स्थान: गौतमबुद्धनगर

दिनांक 28/01/2016 से 28/04/2016 तक

शर्तें

1. अनुमति धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की कतिपय करतार रहेगा और इस प्रकार के दावे को उससे उत्पन्न होते ही स्वयं निरिधत करेगा।
2. अनुमति धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-गृहादि, सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वृक्षों पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुँचे।
3. अनुमति धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्त प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
4. उपखनिज का परिवहन जिलाधिकारी (खनन कार्यालय) द्वारा निर्गत प्रपत्र एमएम-11 पर ही किया जायेगा।
5. अनुमति पत्र में निर्धारित मात्रा अथवा अवधि जो भी पूर्व में घटित होगी, तक ही मान्य होगी।
6. प्रत्येक 07 दिन में उपखनिज की निकासी की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. एमएम-11 की बुको को प्रयोग करने के तुरन्त बाद कार्यालय प्रतिपत्र एवं अवशेष एमएम-11 कार्यालय में जमा करायेगें तथा खनन स्थल से निकलने वाले वाहन खनिज को तिरपाल से ढककर ही शहर के अन्दर परिवहन करें।
8. बेसमेन्ट निर्माण के दौरान निकले उपखनिज की निकासी का कार्य सुरक्षात्मक उपाय बेरिकोडिंग आदि लगाकर इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू-भाग अथवा नयन व कार्यरत भजदूरी को हानि न पहुँचे और यदि क्षति होती है तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।
9. यदि उपखनिज की निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी को देनी होगी व अन्य उपखनिज की रायल्टी का आकलन किया जायेगा जो आवेदक को अतिरिक्त रायल्टी के रूप में देना होगा।
10. यदि भवन परियोजना के निर्माण हेतु परियोजना स्थल से किये गये उपखनिज का प्रयोग परियोजना में अथवा परियोजना स्थल के बाहर किसी कार्य हेतु किया जाना है तो पर्यावरण निदेशालय, उ०प० के पत्र संख्या 2557/पर्या०/एस०आई०एस०/साधारण मिट्टी खनन/2012 में दिये गये बिन्दु संख्या-5 में दिये गये Safeguards को कड़ाई से अपनाया जाना होगा।
11. अनुमतिधारक द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णय का अनुपालन करते हुए एवं वन भूमि के अन्तर्गत सभी प्रकार के विधिक रूप से मान्यता प्राप्त (स्टेच्यूटरी रिकग्नाईज्ड) वन (चाहे वह आरक्षित या संस्थित या किसी अन्य नामों (डिजिनेटेड) से हो) क्षेत्रों में खनन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. जिला खनन अधिकारी द्वारा सत्यापन करके यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खनिज ले जाने के लिये जारी किये गये रक्त्ता का उपयोग स्वीकृत किये गये क्षेत्र से निकाले गये खनिज के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है तथा एक प्रकार के वाहन के लिए किये गये प्रपत्रों का दूसरे प्रकार के वाहनों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिस भू-खण्ड हेतु अनुमति दी जा रही है, उस भू-खण्ड से निर्धारित मात्रा में खनिज निकालने हेतु जारी किये गये रक्त्ता का प्रयोग किसी और जगह से अवैधानिक रूप से निकाले गये खनिज में किया जाना पाया जाता है तो अदिलम्ब उक्त गैर विधिक कार्य करने वालों के विरुद्ध एक०आई०आर० दर्ज की जायेगी तथा उक्त वाहन एवं खनिज को सीज किया जायेगा।
13. अनुमति देने के उपरान्त निर्धारित अंतराल में तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा अनिवार्य रूप से हर सप्ताह निरीक्षण किया जायेगा तथा गठित टास्क फोर्स उक्त स्थल पर खनन की जा रही खनिज (Mineral) का प्राथमिक अनुमान लगाकर उक्त मात्रा का अंकन भी करेगी अर्थात् टास्क फोर्स अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त समय समय पर निरीक्षण करते हुए खनन की जा रही मात्रा एवं गहराई की जाँच करेगी तथा यदि अनुमति में दिये गये क्षेत्रफल एवं गहराई की मात्रा से ज्यादा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है तो सम्बन्धित अवैध खनन करने वाले अनुमति धारक व अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायेगी। तथा उक्त को अवैध खनन मानते हुए उक्त खनिज को सीज करते हुए नियमानुसार निस्तारण करेगी।
14. शासन द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों के अधीन जिन आवेदन कर्ताओं को अनुमति मिली है उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि जितना गहराई तथा जितना मात्रा हेतु खनन अनुमति मिली है और जिस खनिज हेतु अनुमति मिली है उसकी शत प्रतिशत रायल्टी जमा करके नियमानुसार उक्त बेसमेन्ट की खनिज की निकासी करेगा इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति अधिकारी/कर्मचारी द्वारा या किसी अन्य द्वारा किसी तरह का दबाव या धन उगाही या गुंडा टैक्स जैसी अवैध वस्तु की जाती है तो सम्बन्धित व्यक्ति/अनुमति धारक द्वारा खनन अधिकारी को तत्काल सूचित किया जायेगा उक्त सूचना या स्वयं द्वारा किये जा रहे निरंतर निरीक्षण के आधार पर खनन अधिकारी द्वारा अदिलम्ब प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। अगर खान अधिकारी द्वारा उक्त आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है तो अनुमति धारक द्वारा स्वयं या प्रभारी अधिकारी खनन के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी उक्त प्राथमिकी दर्ज कर उसपर अदिलम्ब आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही



15. अनुमति धारक द्वारा सम्बन्धित भूखण्ड से निकाली गयी खनिज का परिवहन जिन वाहनों द्वारा किया जायेगा उनका विवरण सम्बन्धित भूखण्ड स्वामी द्वारा प्रमाणित रजिस्टर में मेन्टेन किया जायेगा जिसका निरीक्षण समय समय पर टास्क फोर्स एवं खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के पत्र संख्या 904/एस0टी0-डी0एम0/2014 दिनांक 25.3.2014 एवं पत्र संख्या 910/एस0टी0-डी0एम0/2014 दिनांक 29.3.2014 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. अनुमति धारक का यह मूल दायित्व होगा कि वह अपने द्वारा योजित किये जाने वाले कर्मचारियों का चरित्र सत्यापित करायेगा तथा किसी भी अपराधिक व्यक्ति को इस कार्य में योजित नहीं करेगा।
17. अनुमति धारक का यह भी दायित्व होगा कि यदि उनके द्वारा योजित कोई कर्मचारी कोई चूटि या शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तब ऐसे कर्मचारी का कृत्य ठेकेदार का कृत्य समझा जायेगा और अनुमति पत्र की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर उनके विरुद्ध नियमानुसार उचित शर्तों का उल्लंघन से सम्बन्धित प्रचलित विधियों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. यदि अनुमति धारक अनुमति पत्र में दी गई शर्तों के अनुरूप कार्य न करके, शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुमति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायस्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
19. उपखनिजों के परिवहन का ठीक लेखा-जोख (यथा वाहन संख्या, उपखनिज का नाम, मात्रा एवं गन्तव्य स्थान) खनन स्थल पर पंजिका (रजिस्टर) में दर्ज किया जायेगा तथा आकस्मिक निरीक्षण के समय खनन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा जौष हेतु उपलब्ध कराया जाये।



जिलाधिकारी
पत्रांक 768 / खनिज लिपिक/2015
प्रतिलिपि

गौतमबुद्धनगर।
दिनांक 28/01/2016

जिला खनन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
2. प्रभारी अधिकारी खनिज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
4. उप जिलाधिकारी दादरी/क्षेत्राधिकारी जिला गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक- 904/एस0टी0/दिनांक-25.03.2014 द्वारा गठित टास्क फोर्स के साथ निरीक्षण कर शर्तों/प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
5. जिला खनन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि अनुज्ञा पत्र में स्वीकृत के दौरान समय अन्तराल पर निरीक्षण कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करे।
6. संबंधित थानाध्यक्ष, जनपद गौतमबुद्धनगर।
7. M/s Asteroid Shelters Homes pvt ltd पता-551/1 खसरा नम्बर-278 गौच-सेदुलजब एक्सपेन्स नई दिल्ली के प्लॉट सं0-सी0-01/ए सैक्टर-04 ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर



जिला खनन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

I-6

JAMIA MILLIA ISLAMIA

(A Central University by an Act of Parliament)



جامعہ
میلیہ
اسلامیہ

Faculty of Engineering and Technology

Maulana Mohammed Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025

Tel.: 26985227, 26981717 Ext. 2310, 2312, 2313 Tele Fax : 26981261

Department of Civil Engineering

CEDJ/03/02/2016

20.02.2016

Asteroid Shelters Homes Pvt. Ltd.**H-175, Sector-63****Noida, 201301**

Subject: Vetting of Drawings & Structural Design of Proposed Commercial Building at plot number C-01A, Sector 4, Greater Noida

This is to certify that the structural drawings & design of proposed commercial building of Asteroid Shelters Homes Pvt. Ltd., H-175, Sector-63, Noida, 201301 at plot no. C-01A, Sector 4, Greater Noida with Floor Area Details given below, have been checked and found to be conforming to relevant Codes of Practice as per the latest Indian Standards. All the stipulated combination of loads (static and dynamic) in vertical and lateral direction has been incorporate in the analysis and design. The structural design and drawings have been checked and found to be satisfactory.

Hence they are approved and verified.

Vetted drawings are enclosed here with.

Tower	Height	FAR Area	Non FAR Area
Galaxy Diamond	(3Basement +Ground+ 17 Floors)	39378.726	21886.653

Dr. Mehtab Alam

Faculty of Engg. & Technology

Jamia Millia Islamia

New Delhi-110025